झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–566 वर्ष 2017

सुजाता कुमारी, पुत्री–श्री उमेश प्रजापति, निवासी–गोला रोड, परसोतिया, प्रजापति भवन, डाकघर एवं थाना–रामगढ़ छावनी, जिला–रामगढ़

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा, निदेशालय), झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर, थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, निदेशालय, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर, थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, धनबाद, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, रामगढ़, डाकघर, थाना और जिला–रामगढ़।
5. झारखण्ड शैक्षणिक परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, नामकुम बरगवां, डाकघर, थाना–नामकुम, जिला–रांची, अपने अध्यक्ष के माध्यम से।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री आशुतोष आनंद, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिएः– श्री अरबिंद कुमार, जी0पी0–II का जे0सी0

उत्तरदाता जे0ए0सी0 के लिएः– श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

श्री अभिजीत कु0 सिंह, अधिवक्ता

08 / 20.06.2017 आई0ए0 सं0 4151 / 2017

यह आवेदन बाद की घटनाओं को शामिल करने एवं दिनांक 08.02.2017 की समाप्ति आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका में संशोधन करने के लिए दायर किया गया है।

2. प्रारंभ में, याचिकाकर्ता, जब दिनांक 03.01.2017 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिला शिक्षा अधिकारी, धनबाद प्रतिवादी सं0 3 को निर्देश देने क लिए इस न्यायालय में आया था कि वह कारण बताओ जवाब पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही मामले में निर्णय ले। एक अन्य प्रार्थना उस अवधि के लिए वेतन के भुगतान के लिए थी जिस अवधि के लिए उसने उत्तरदाताओं के अधीन काम किया।

3. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह दिनांक 26.04.013 को आयोजित टी0ई0टी0 2012 परीक्षा में उपस्थित हुई, जिसका परिणाम दिनांक 28.05.2013 को प्रकाशित हुआ था। जिला शिक्षा अधिकारी, रामगढ़ ने योग्य उम्मीदवारों को टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र वितरित किया था और याचिकाकर्ता को भी उसका टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र सौंपा गया। विज्ञापन संख्या 10 / 2015 के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने गैर–पैरा शिक्षक श्रेणी के तहत सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 17.06.2015 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया। आदेश दिनांक 14.12.2015 के तहत उन्हें अनंतिम रूप से नियुक्त किया गया था और परिवीक्षा की अवधि दो साल थी। जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी–झारखण्ड अकादमिक परिषद् ने विज्ञापन संख्या 95 / 2012 की एक प्रति प्रस्तुत किया है, जिसके तहत एक उम्मीदवार जिसने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया था और अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुआ था, उसे टी0ई0टी0 2012 परीक्षा

में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी–जे0ए0सी0 ने दिनांक 28.04.2013 के नोटिस की एक प्रति भी रिकॉर्ड पर लाया है, जिसके तहत उपस्थित उम्मीदवारों को दिनांक 13.05. 2013 तक अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे सत्र 2011–13 के लिए प्राथमिक शिक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें दिनांक 16.04.2015 को सफल घोषित किया गया। जाहिर है, जिस तारीख को टी0ई0टी0 2012 परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, याचिकाकर्ता न तो अपने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर सकता था और न ही दिनांक 13.05.2013 तक टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता था। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उसने खुलासा किया है कि उसने वर्ष 2013 में टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि उसने वर्ष 2015 में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस इस आधार पर जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र प्रतिवादी–जे0ए0सी0 द्वारा जारी नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दिया गया था, जिसकी वास्तविकता पर संदेह नहीं किया गया है और इस प्रकार, प्रतिवादी–जे0ए0सी0 द्वारा दायर हलफनामे के मद्देनजर याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है।

5. प्रतिवादी जे0ए0सी0 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों जिसमें सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र शामिल है,

यह स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा दिसंबर, 2014 के महीने में आयोजित की गई थी। कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.01.2017 निम्नानुसार हैः

''उपर्युक्त विषयक जिन शिक्षकों के शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जांच के क्रम में प्रमाण–पत्र गलत पाये गये है उनके उपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सेवा से बर्खास्त किया जाय, के आलोक में अंकित करना है कि आपके नाम के सामने अंकित प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय आवेदन में गलत प्रस्तुत किया गया है।''

6. उपरोक्त तथ्यों में, याचिकाकर्ता को तत्काल रिट याचिका में ली गई निवेदन से भिन्न आधारों को उठाना आवश्यक है। उनकी नियुक्ति की समाप्ति की कार्रवाई एक अलग वाद कारण बनता है। तद्नुसार, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क पर निष्कर्ष दर्ज किए बिना, अन्यथा यह एक पक्ष को पूर्वाग्रहित करेगा, आई0ए0 संख्या 4151/2017 को खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता एक अलग कार्यवाही में दिनांक 17.03.2017 की समाप्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।

<u>डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 566/2017</u>

7. इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता को दिनांक 17.03.2017 के एक आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया है, तत्काल रिट याचिका में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)